भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5744

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना

5744. श्री नवीन जिंदल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, लातविया और मलेशिया में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना की है और यदि हां, तो इन पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये पीठ आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से बढ़ावा देने की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा हैं और यदि हां, तो इस पहल के माध्यम से क्या विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयुष में अनुसंधान और शैक्षणिक आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो ऐसे समझौतों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयुष पीठों की मेजबानी करने वाली इन विदेशी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ङ) क्या इन पहलों से आयुष चिकित्सा पद्धतियों की वैश्विक मान्यता और स्वीकार्यता में वृद्धि होने की आशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके प्रभाव का आकलन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जी हाँ, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) पीठ कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुष) के वैश्विक स्तर पर संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, आयुष पद्धतियों के संबंध में अकादमिक सहयोग, अनुसंधान और जागरूकता को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आयुष पीठ स्थापित किए जाते हैं। आयुष मंत्रालय ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, लातविया और मलेशिया में आयुष अकादमिक पीठ स्थापित किए हैं।

ये पीठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा हैं। इस पहल के माध्यम से अपनाए जा रहे विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

(i) आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियाँ शुरू करना।

(ii) श्वविद्यालय की आवश्यकताओं और भारत में आयुष शिक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार अल्पकालिक/मध्यम अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यविषयों को अभिकल्पित करना और उसे अंतिम रूप देना।

(iii) विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण/व्याख्यान/व्यावहारिक सत्र लेना और विश्वविद्यालय तथा पीठ के बीच पारस्परिक रूप से सहमत विभागीय सेमिनार, सम्मेलन, संकाय बैठकों आदि जैसी गतिविधियों में भाग लेना।

(iv) सहयोगात्मक अनुसंधान करने की व्यवहार्यता का पता लगाना।

(v) मेजबान देशों और अन्य पड़ोसी देशों के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करना।

(vi) भारतीय दूतावास/भारतीय उच्चायोग, मेजबान विश्वविद्यालय और आयुष मंत्रालय के साथ संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

(vii) मेजबान संगठन के सहयोग से आयुष पद्धतियों पर कार्यशालाएँ/सेमिनार आयोजित करना।

(viii) आयुष पद्धतियों पर मौजूदा शैक्षणिक/अनुसंधान कार्यक्रमों, उनकी खूबियों एवं कमियों की पहचान करना और भारत में आयुष मंत्रालय तथा संबंधित संस्थान को सूचना प्रदान करना।

(ix) मेजबान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य आकस्मिक जिम्मेदारियाँ निभाना जैसे कि संबंद्ध अस्पताल/क्लिनिक में व्यावहारिक प्रदर्शन/नैदानिक प्रशिक्षण के लिए नैदानिक सेवाएँ प्रदान करना।

(x) आयुष मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपी गई कोई अन्य गतिविधि करना।

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले, वर्ष में कम से कम 2 सार्वजनिक व्याख्यान देना, जिन्हें आयुष व्याख्यान कहा जाएगा।

(ग) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष में अनुसंधान और अकादमिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी संस्थानों के साथ 50 संस्थान-दर-संस्थान स्तरीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन संस्थानों के साथ आयुष मंत्रालय ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(घ) आयुष मंत्रालय विदेशी संस्थाओं को पीठ की मेजबानी के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। मंत्रालय, आयुष पीठ के वेतन, हवाई किराया और उचित भत्तों से संबंधित लागतों को वहन करता है, जिसे संबंधित भारतीय मिशन को जारी किया जाता है। मेजबान विश्वविद्यालय निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता हैं:

(i) उम्मीदवार, उसके पतिको स्वास्थ्य बीमा (दो तक सीमित) बच्चों/पत्नी और नाबालिग बच्चे/ प्रदान करना;

(ii) सभी बुनियादी सुविधाओं उपयोगिता शुल्कों के/साथ किराए से मुक्त सुसज्जित पारिवारिक आवास प्रदान करना;

(iii) पीठ के कुशल संचालन के लिए परिसर में सुसज्जित कार्यालय और अनुसचिवीय सहायता प्रदान करना।

(iv) पीठ/अतिथि संकाय को कार्यालयीन कार्यभार के दौरान परिवहन या परिवहन के लिए मुआवजा प्रदान करना।

(ङ) ये पहलें आयुष चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक प्रचार-प्रसार, मान्यता और स्वीकृति को बढ़ाने में सहायता करती हैं। आयुष पीठ के प्रभाव का आकलन करने के लिए, पीठ से आरम्भ की गई गतिविधियों पर एक मासिक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर पीठ के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है।

*****

संलग्नक

संस्थान स्तरीय समझौता ज्ञापनों का विवरण

क्र. सं.	समझौता ज्ञापन का विवरण	देश
1.	पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), (सभी अनुसंधान परिषदों- सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम, सीसीआरएस, सीसीआरएच, सीसीआरवाईएन की ओर से) तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केंद्र (एनसीएनपीआर) की ओर से मिसिसिपी विश्वविद्यालय, यूएसए के मध्य समझौता ज्ञापन	यूएसए
2.	सीसीआरएच और रॉयल लंदन हॉस्पिटल फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यूके के मध्य समझौता ज्ञापन	यूनाइटेड किंगडम
3.	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और कॉलेज ऑफ होम्योपैथ्स ऑफ ओंटारियो (सीएचओ), कनाडा के मध्य समझौता ज्ञापन	कनाडा
4.	संयुक्त राज्य अमेरिका फार्माकोपिया कन्वेंशन और भारतीय चिकित्सा फार्माकोपिया आयोग	यूएसए
5.	होम्योपैथी चिकित्सा में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सीसीआरएच और यूनिवर्सिडाड मैमोनिडेस, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के मध्य समझौता ज्ञापन	अर्जेंटीना
6.	आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में सहयोग पर केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) और तेल अवीव सोरास्की चिकित्सा संस्थान (टीएएसएमसी), इज़राइल के चिकित्सा अनुसंधान बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा कोष के मध्य समझौता ज्ञापन	इजराइल
7.	सभी अनुसंधान परिषदों की ओर से केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ("सीसीआरएएस"), आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी), भारत सरकार, नई दिल्ली, और एडमॉन्टन, अल्बर्टा, कनाडा में स्थित इंटीग्रेटिव हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अल्बर्टा विश्वविद्यालय के गवर्नरों के मध्य समझौता ज्ञापन	कनाडा
8.	मलेशिया में आयुर्वेद की शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन और लोकप्रियता के क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान, क्वालालम्पुर, मलेशिया के मध्य समझौता ज्ञापन	मलेशिया
9.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के होम्योपैथिक फार्माकोपिया कन्वेंशन (एचपीसीयूएस) के मध्य समझौता ज्ञापन	यूएसए
10.	साइंटिफिक सोसाइटी फॉर होम्योपैथी (विसहोम), जर्मनी और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के मध्य समझौता ज्ञापन	जर्मनी
11.	होम्योपैथी में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो संघीय विश्वविद्यालय (एफयूआरजे) के मध्य समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील

12.	आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, (एआईआईए), आयुष मंत्रालय और यूरोपीय आयुर्वेद अकादमी (बिरस्टीन), (आरईएए) जर्मनी के मध्य समझौता ज्ञापन	जर्मनी
13.	होम्योपैथिक चिकित्सा में अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव कॉम्प्लिमेंट्री मेडिसीन, शारे जेडेक मेडिकल सेंटर, येरुशलम, इज़राइल के मध्य समझौता ज्ञापन	इजराइल
14.	होम्योपैथी में अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (एनआईआईएम), ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	ऑस्ट्रेलिया
15.	भारत के माननीय प्रधानमंत्री की यूके यात्रा के दौरान आयुर्वेद में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और कॉलेज ऑफ मेडिसिन (यूके) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	यूनाइटेड किंगडम
16.	आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और ग्राज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ग्राज़ ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता ज्ञापन	ऑस्ट्रिया
17.	यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) और राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान अबुअली इब्न सिनो नामक ताजिक राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन	तजाकिस्तान
18.	आयुर्वेद में अकादमिक सहयोग की स्थापना के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), आयुष मंत्रालय और स्पाउल्डिंग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, अमेरिका के मध्य समझौता ज्ञापन	यूएसए
19.	आयुर्वेद में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय के सीसीआरएएस और न्यूरोलॉजी तथा पूरक चिकित्सा विभाग, लूथरन, अस्पताल हैटिंगेन, जर्मनी के मध्य समझौता ज्ञापन	जर्मनी
20.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता ज्ञापन	ऑस्ट्रेलिया
21.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली और डिवाइन वैल्यूज़ स्कूल, इक्वाडोर (डीवीएसई) के मध्य समझौता ज्ञापन	इक्वेडोर
22.	यूरोपीय आयुर्वेदीय विज्ञान संस्थान (ईआईएएस), हंगरी की स्थापना के उद्देश्य से केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, (सीसीआरएएस) आयुष मंत्रालय भारत गणराज्य की सरकार और डेब्रेसेन विश्वविद्यालय, हंगरी (यूडी) के बीच समझौता ज्ञापन	हंगरी
23.	शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, उपचार, प्रकाशन आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनआईए और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन	वेस्ट इंडीज
24.	ब्रिटेन में कोविड-19 से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर अनुसंधान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), आयुष मंत्रालय और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन (एलएसएचटीएम), ब्रिटेन के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	यूनाइटेड किंगडम

25.	शिमाने विश्वविद्यालय, जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन	जापान
26.	फिज, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन	जर्मनी
27.	जापान के साथ एमओसी	जापान
28.	एससीआरयूएम और हमदर्द यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के मध्य समझौता ज्ञापन	बांग्लादेश
29.	सीसीआरएएस, आयुष मंत्रालय और ओसीसीएएम, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन	यूएसए
30.	केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), आयुष मंत्रालय और सामाजिक चिकित्सा, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संस्थान, चैरिटे यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, बर्लिन जर्मनी के मध्य समझौता ज्ञापन	जर्मनी
31.	आयुष पद्धति पर संग्रहालय और होम्योपैथी पर अभिलेखागार के विकास के क्षेत्र में सहयोग पर इंस्टिट्यूट फॉर द हिस्ट्री ऑफ़ मेडिसिन, रॉबर्ट बॉश फाउंडेशन, स्टटगार्ट, जर्मनी	जर्मनी
32.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और लीडर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, खेल मंत्रालय सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन	सऊदी अरब
33.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी) और फंडासिओन डी सलूड आयुर्वेद प्रेमा, अर्जेंटीना के मध्य समझौता ज्ञापन	अर्जेंटीना
34.	एआईआईए और फ्यूचर विजन इंस्टीट्यूट, ब्राजील और साओ पाउलो विश्वविद्यालय ब्राजील के मध्य समझौता ज्ञापन	ब्राजील
35.	आयुर्वेद के क्षेत्र में एआईआईए और ला रियूनियन के यूनिवर्सिटी जनरल हॉस्पिटल - सीएचयू डे ला रियूनियन के मध्य समझौता ज्ञापन	चू डे ला रीयूनियन
36.	एआईआईए, द फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो (यूएफआरजे) और ब्राजीलियन एकेडमिक कंसोर्टियम फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ (सीएबीआईएन), ब्राजील के मध्य समझौता ज्ञापन	ब्राजील
37.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और फिलीपींस पारंपरिक एवं वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा संस्थान, फिलीपींस के मध्य समझौता ज्ञापन	फिलिपींस
38.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क, कनाडा के मध्य समझौता ज्ञापन	कनाडा
39.	आयुर्वेद और सिद्ध के क्षेत्र में सहयोगी अनुसंधान में सहयोग पर सीसीआरएएस, रोमानियाई सोसायटी ऑफ मेडिसिन और सूरज आयुर्वेद क्लिनिक और अनुसंधान केंद्र पुणे के मध्य समझौता।	रोमानिया
40.	आयुष-डब्ल्यूएचओ-पीएचएफआई सहयोगात्मक परियोजना जिसका शीर्षक कोविड-19 से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य पद्धति में आयुष पद्धति के एकीकरण का आकलन है, हेतु सीसीआरएएस और पीएचएफआई के मध्य समझौता ज्ञापन	विश्व स्वास्थ्य संगठन
41.	भारत योग केंद्र (आईवाईसी), कोरिया	कोरिया
42.	आयुर्वेद में अकादमिक सहयोग की स्थापना हेतु एआईआईए और यूसीएमएच, हवाना क्यूबा के मध्य समझौता ज्ञापन	क्यूबा

43.	एआईआईए और राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन	जापान
44.	एमडीएनआईवाई और सर्व योग इंटरनेशनल इटली के मध्य समझौता ज्ञापन	इटली
45.	आईटीआरए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, पेरू गणराज्य के मध्य समझौता ज्ञापन	पेरू
46.	एआईआईए और क्वार्नर हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर, क्रोएशिया के मध्य समझौता ज्ञापन	क्रोएशिया
47.	एनआईए और थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन	थाईलैंड
48.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और श्री वजेरा फाउंडेशन एवं संबद्ध संस्थानों के मध्य समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील
49.	सीसीआरयूएम और दक्षिण अफ्रीका के संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद (एएचपीसीएसए) के मध्य समझौता ज्ञापन	दक्षिण अफ्रीका
50.	आयुर्वेद और योग में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर चार्ल्स यूनिवर्सिटी चेक गणराज्य और एनआईए, जयपुर और एमडीएनआईवाई नई दिल्ली के मध्य दिनांक 17.07.2024 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	चेक गणराज्य